न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर(राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्री जगदीश आर्य RAS

अपील संख्या :– 38/2019

1. रतिराम पुत्र मगंनाराम
2. इमरती पुत्री मगंनाराम जातियान गुर्जर निवासी गोपालपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयुपर (राज0)।

अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राज0

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 1209 दिनांक 25.11.2010 द्वारा तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट।

निर्णय

दिनांक 13.1.21

अपीलान्ट नामान्तरण संख्या 1209 दिनांक 25.11.2010 तस्दीक द्वारा तहसीलदार कोटपूतली वाके मौजा बनका बाबत खसरा नम्बर 778 से व्यथित होकर उक्त नामान्तरण के विरूद्ध अपील पेश की है। प्रस्तुत अपील मे वर्णित तथ्य निम्मन प्रकार पेश हैं।

1. यह है कि हाल खसरा नम्बर 778/0.21 वाके ग्राम बनका तहसील कोटपूतली जिला जयपुर में स्थित है।
2. यह है कि उक्त आराजी के खातेदार अपीलान्ट का पिता मंगनाराम पुत्र बखतावर काबिज काश्तकार थे उनकी मृत्यु के बाद मंगनाराम के फुट स्टेप पर मंगनाराम के हिस्से की भूमि पर अपीलान्ट काबिज काश्त हुए तथा मौके पर आज भी काबिज काश्त है।
3. यह है कि अपीलान्ट के पिता मंगनाराम की मृत्यु दिनांक 25.03.08 को होने के बाद मंगनाराम की विरासत का नामान्तरण उनके वारिसान अपीलान्ट के नाम

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

नामान्तरण संख्या 1209 दिनांक 25.11.2010 को रेस्पोडेंट द्वारा नाम दर्ज करते समय अपीलान्ट का नाम रतिराम पुत्र बखतावर व इमरती पुत्री बखतावर दर्ज कर दिया जबकि अपीलान्ट रतिराम पुत्र बखतावर व इमरती पुत्री बखतावर के स्थान पर रतीराम पुत्र मंगनाराम व इमरती पुत्री मंगनाराम होना चाहिए था। लिपिकीय त्रुटि के कारण अपीलान्ट के पिता मंगनाराम के स्थान पर बखतावर लिखा गया जो कि अपीलान्टस के दादा है। जिसे शुद्ध किया जाना जरूरी एवं न्यायसंगत है। उक्त लिपिकीय त्रुटि है उसे दुरूस्त किया जाकर अपीलान्टस की वल्दीयत बखतावर के स्थान पर मंगनाराम किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

4. यह है कि अपीलान्ट को जमाबंदी की नकल प्राप्त करने पर जानकारी हुई। पूर्व में इसकी कोई जानकारी नही थी जानकारी होते ही उक्त नामान्तरण की नकल प्राप्त की और बिना किसी देरी के श्रीमान के समक्ष अपील पेश की है। फिर भी देरी माफी के लिए अलग से मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र दफा–5 सलग्न पेश है।
5. यह है कि अपील श्रीमान अदालत को सुनने व तैय करने का अधिकार है। उक्त अपील श्रीमान अदालत के निर्धारित शुल्क पर पेश है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 1209 दिनांक 25.11.2010 द्वारा तहसीलदार कोटपूतली बाबत आराजी खसरा संख्या 778/0.21 वाके ग्राम बनका तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के पिता बखतावर के स्थान पर रतीराम पुत्र मंगनाराम व इमरती पुत्री मंगनाराम दर्ज करने के आदेश पारित करने की कृपा करे।
6. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील पेश करने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई रेस्पोडेंट की तल्वी हेतु सम्मन नोटिस जारी किये बाद तामील सम्मन नोटिस सलग्न पत्रावली किया गया।
7. प्रकरण में इस न्यायालय के पत्रांक 240 दिनांक 13.11.2019 के द्वारा मृतक मंगनाराम के सही वारिसान की रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहसीलदार कोटपूतली को लिखा जाने के उपरान्त उनके पत्रांक 1568 दिनांक 01.07.2020 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जो सलग्न पत्रावली है।
8. बहस सुनी गई। वकील अपीलान्टस का प्रस्तुत बहस में कथन है कि आराजी खसरा नम्बर 778/0.21 है0 वाके मौजा बनका तहसील कोटपूतली के खातेदार

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अपीलान्ट के पिता मंगनाराम पुत्र बखतावर कब्जा काश्तकार थे उनकी मृत्यु के बाद उनके फुट स्टेप पर अपीलान्ट काबिज काश्त हुए आज भी काबिज काश्त हैं। अपीलान्ट के पिता की मृत्यु होने के बाद उनकी विरासत का नामान्तरण उनके वारिसान अपीलान्ट के नाम दर्ज करते समय नामान्तरण संख्या 1209 दिनांक 25.11.2010 को रेस्पोडेंट द्वारा रतिराम पुत्र बखतावर व इमरती पुत्री बखतावर दर्ज कर दिया जो कि बखतावर अपीलान्टस का दादाजी था जबकि मंगनाराम की विरासत का नामान्तरण खोलते समय उनके वारिसान अपीलान्टस रतीराम पुत्र मंगनाराम व इमरती पुत्री मंगनाराम नाम दर्ज होना चाहिए थे उक्त लिपिकीय त्रुटि हुई है उसे शुद्ध किया जाना निहायत जरूरी एवं न्यायसंगत है। अतः अपीलान्टस की वल्दीयत बखतावर के स्थान पर मंगनाराम दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत एवं आवश्यक है। अतः नामान्तरण संख्या 1209 दिनांक 25.11.2010 द्वारा तहसीलदार कोटपूतली बाबत आराजी खसरा नम्बर 778/0.21 है0 वाकेग्राम बनका तहसील कोटपूतली को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के पिता बखतावर के स्थान पर रतिराम पुत्र मंगनाराम व इमरती पुत्री मंगनाराम दर्ज करने के आदेश फरमावें।

9. बहस पैरोकार सुनी गई। पैरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलान्टस के पिता की मृत्यु के उपरान्त उनकी विरासत का नामान्तरण दर्ज करते समय अपीलान्टस के पिता का नाम बखतावर सहवन से लिखा गया हो तो उसे दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत है।

10. उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात साक्ष्य सबूतों का अवलोकन किया तथा उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तो पाया कि नामान्तरण संख्या 1209 वाके मौजा बनका तहसील कोटपूतली विरासत का नामान्तरकरण तहसीलदार कोटपूतली द्वारा दिनांक 15.11.2010 को दर्ज कर स्वीकार किया है। वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम बनका के आराजी खसरा नम्बर 778/0.21 है0 भूमि मंगनाराम पुत्र बखतावर के नाम राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज थी। मंगनाराम पुत्र बखतावर की मृत्यु 25.03.2008 को होने पर उनकी विरासत का नामान्तरण में उनके वारिसान अपीलान्टस का नाम दर्ज करते समय रतिराम पुत्र बखतावर व इमरती पुत्री बखतावर दर्ज कर दिया जो लिपिकीय त्रुटिवश अपीलान्टस के पिता के स्थान पर दादा बखतावर सिंह

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

लिखा गया जो गलत है। जबकि रतिराम पुत्र बखतावर व इमरती पुत्री बखतावर के स्थान पर रतिराम पुत्र मंगनाराम व इमरती पुत्री मंगनाराम सही दर्ज करना चाहिए था इसलिए अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 1209 दिनांक 25.11.2010 द्वारा तहसीलदार कोटपूतली बाबत आराजी खसरा नम्बर 778/0.21 है0 वाकेग्राम बनका तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान को निरस्त किया जाकर अपीलान्टस के पिता बखतावर के स्थान पर रतिराम पुत्र मंगनाराम व इमरती पुत्री मंगनाराम दर्ज करने के आदेश प्रदान करें। तहसीलदार कोटपूतली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में रतिराम पुत्र मंगनाराम व इमरती पुत्री मंगनाराम सही होना बताया है, चुंकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य सबूत एवं तहसीलदार कोटपूतली की रिपोर्ट के अवलोकन करने से मृतक मंगनाराम के वारिसान अपीलान्टस रतिराम पुत्र मंगनाराम व इमरती पुत्री मंगनाराम है तहसीलदार कोटपूतली द्वारा उक्त नामान्तरण संख्या 1209 दिनांक 25.11.2010 दर्ज करते समय मृतक मंगनाराम के वारिसान अपीलान्टस का नाम दर्ज करते समय रतिराम पुत्र बखतावर व इमरती पुत्री बखतावर दर्ज कर दिया जबकि इनके स्थान पर रतिराम पुत्र मंगनाराम व इमरती पुत्री मंगनाराम सही दर्ज होना चाहिए था उक्त लिपिकीय त्रृटिवश वलदीयत को दुरूस्त किया जाना एवं उक्त नामान्तरण अपास्त किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है। इसलिए अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

11. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 1209 दिनांक 25.11.2010 वाकेमौजा बनका स्वीकार द्वारातहसीलदार कोटपूतली बाबत आराजी ख.नं. 778/0.21 वाके ग्राम बनका तहसील कोटपूतली (जयपुर) को अपास्त किया जाकर मृतक मंगनाराम की भूमि का उनके वारिसान अपीलान्टस के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

12. यह निर्णय आज दिनांक ..13.1.21.....को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)